न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुनीता बेड़ा आर.जे.एस.

(डी.जे. कैडर)

दांडिक निगरानी संख्या :- **15/2026 (**सी.आई.एस.संख्या-**15/2026)**

सी.एन.आर. संख्या :– RJHG060002302026

गुरदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, उम्र–32 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 11, डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––निगरानीकर्ता––

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।
2. कृष्णा पत्नी गुरदीप सिंह पुत्री जवाहर सिंह, उम्र–28 वर्ष, निवासी–हाल वार्ड नंबर 16, करनीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. किरण पुत्री गुरदीप सिंह, उम्र–6 वर्ष, नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता कृष्णा पत्नी गुरदीप सिंह।

––गैरनिगरानीकर्तागण––

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 03.02.2026 द्वारा श्री अविनाश चांगल, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़ के बअनवानी प्रकरण कृष्णा आदि बनाम गुरदीप सिंह, प्रकरण संख्या 134/2024 में गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण स्वीकार किया गया, के विरूद्ध निगरानी।

उपस्थित:–
1–श्री राजेश छाबड़ा, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते निगरानीकर्ता
2–श्री पवन श्रीवास्तव, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, वास्ते राज्य
3– श्री राजीव शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते गैरनिगरानीकर्तागण

–– आदेश––

दिनांक–05.08.2026

1. यह निगरानी निगरानीकर्ता गुरदीप सिंह की ओर से मूल रूप से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जहां से विधिवत सुनवाई व निस्तारण हेतु दिनांक 21.04.2026 को यह निगरानी अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत अंतरिम भरण पोषण प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 03.02.2026 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को 1500 रूपए व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को 2000 रूपए इस प्रकार कुल 3500 रूपए प्रतिमाह बतौर अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से गैरनिगरानीकर्तागण को अदा करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. बहस निगरानी उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 03.02.2026 विधि विरूद्ध होने से निरस्त के योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की बिना जांच किए व सही स्थिति की जानकारी प्राप्त किए बिना उक्त तथ्यों को सही मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। दिनांक 04.12.2021 को पंचायत द्वारा समझाइश करने पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 निगरानीकर्ता के साथ बसने के लिए राजी नहीं हुई व तलाक देने की मांग की, जिस पर रोबरू पंचायत निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता व पुत्री कंचन के आजीवन भरण पोषण हेतु एकमुश्त राशि अदा कर दी, जिसके पश्चात निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के मध्य पंचायती तौर पर तलाक के संबंध में दिनांक 04.12.2021 को 100 रूपए के स्टाम्प पर लिखापढ़ी हुई जिस पर

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। उक्त लिखित गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा जानबूझकर पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई व विचारण न्यायालय से उक्त तथ्य को छिपाया है तथा विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का भौतिक सत्यापन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 अवैध, अशुद्ध व अनुचित होने के कारण काबिल निरस्ती है।

4. उक्त निगरानीकर्ता पर गैरनिगरानीकर्तागण को सुना गया। उनकी ओर से निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत रूप से दिनांक 03.02.2026 आदेश पारित करते हुए गैरनिगरानीकर्तागण को निगरानीकर्ता से भरण पोषण राशि दिलाए जाने का आदेश दिया गया है जिसे स्थगित करवाने का निगरानीकर्ता किसी प्रकार से अधिकारी नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जावे।

5. पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के अंतर्गत अवधार्य बिंदु यह उत्पन्न होता है कि:–

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.02.2026 अशुद्ध, अवैध व अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है? "

विनिश्चय का आधार–गैर निगरानीकर्तागण ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 144 बीएनएसएस बाबत अंतरिम भरण पोषण प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 03.02.2026 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को 1500 रूपए व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 को 2000 रूपए इस प्रकार कुल 3500 रूपए प्रतिमाह बतौर अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से गैरनिगरानीकर्तागण को अदा करने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान

विचारण न्यायालय का उक्त आदेश जो कि एक अंतर्वती आदेश है। अंतर्वती आदेश के द्वारा किसी भी प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता। धारा 397(2) दं.प्र.सं. एवं धारा 438(2) बी.एन.एस.एस के तहत यह बताया गया है कि ''उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वती आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा'' साथ ही न्यायिक दृष्टांत **के.के. पटेल बनाम स्टेट आफ गुजरात (2000) 6 एससीसी 195,** Honble Apex Court has settled test for deciding whether an order is interlocutory for the purpose of Section 397(2), Which lays down that:

(i) The sole test is not whether the order was passed at an interim stage or not; BUT

(ii) The feasible test is: if the objection raised by the party were upheld, would the entire proceeding terminate?

- If yes, the order on such objection is not interlocutory (it is intermediate/ quasi-final and revisable.)
- If no, it remains interlocutory, and Section 397(2) bars revision.

Thus, orders that merely regulate procedure or progress of the case, without the potential to terminate proceedings even if decided the other way, are inter-locutory in nature. साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **सेतुरमन बनाम राजामणिकम 2009 सी.आर.एल.आर.एस.सी. 330, मधु लिमिये बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977(4) एससीसी 451 एवं अनुज अेलक्स बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. क्रिमि. रिवीजन पिटीशन नंबर 1331/2022** में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा कोई भी आदेश जिससे प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा न हो अंतर्वती आदेश है एवं अंतर्वती आदेश के संबंध में निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होती।

6. **विनिश्चय–** इस प्रकार उक्त अवधार्य बिंदु निगरानीकर्ता के विरूद्ध तय किया जाता है।

––आदेश––

7. अतः निगरानीकर्ता गुरदीप सिंह की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी पोषणीय नहीं होने से एतदद्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 03.02.2026 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे।

एसडी/–
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

8. यह आदेश आज दिनांक 05.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

एसडी/–
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

VINAY KUMAR
Digitally signed by VINAY KUMAR
Date: 2026.08.07 11:00:16 +0530